



13/11

दूरभाष- 2286709
2286710

नव धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4889 /05/76/एक/2017-18
सेवा में,

दिनांक : 08 मार्च 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-उन्नाव।

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना में स्वीकृत धनराशि से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना के कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु निम्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके जनपद को उक्त योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	6264000100003934	IFSC Code PUNB0626400	57.577

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
1	उन्नाव	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 मोहान	वार्ड सं० 02 मो० अजमतगढ़ी में पिन्डू के मकान से राकेश और खुर्शीद के मकान से एल०बी०वी० रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.223
2	उन्नाव	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 मोहान	वार्ड सं० 03 मो० कजियाना में प्रकाश रावत के घर से श्री पाल के घर वाया बबलू खां को हाता और अर्जुन के मकान से रामकुमार के मकान और सीताराम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.550
3	उन्नाव	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०पा० बांगरमऊ	वार्ड सं० 01 मोहल्ला पानी टोला में मदहापुर चौराहा से गुलाब टेन्ट हाउस तक एवं राधेलाल के प्लाट से मनोज के घर तक इण्टरलाकिंग और यू-टाइप नाली निर्माण कार्य।	11.388
4	उन्नाव	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०पा० बांगरमऊ	वार्ड सं० 02 मोहल्ला बहियाना से उन्नाव-हरदोई रोड से रामनाथ कटियार के घर तक इण्टरलाकिंग और यू-टाइप नाली निर्माण कार्य।	8.381
5	उन्नाव	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० औरास	वार्ड सं०-4 मोहल्ला चमरोखा-प्रथम में गंगाराम कनौजिया से राजकुमार कनौजिया के घर से होते हुये सुरेश राठीर से गुडडी जमादार के घर और उन्नाव-सण्डीला रोड टाउन एरिया और रामू चौरसिया से भईयालाल कहार के घर तक इण्टरलाकिंग और यू-टाइप नाली निर्माण कार्य।	14.035
	योग				57.577

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

(Handwritten signature)



13/12


दूरभाष- 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूठा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


भवदीय,


(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

• पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक